



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082026-275797
CG-DL-E-26082026-275797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4562]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4562]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4747(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में NH 748A के कि.मी. 136.100 से कि.मी.182.300 (एनएचएआई बागलकोट) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में NH 748A के कि.मी. 136.100 से कि.मी.182.300 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: बागलकोट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बादामी					
गांव का नाम: कतागिनाहल्ली					
1	67/4, *	निजी	एग्रीकल्चर	269.76 (वर्ग मीटर)	0.026976
तालुक का नाम: हुनगुन्द					
गांव का नाम: कल्लिगुडा					
2	78/*	निजी	एग्रीकल्चर	254.69 (वर्ग मीटर)	0.025469
गांव का नाम: ऐहोल					
3	154/*	निजी	एग्रीकल्चर	298.84 (वर्ग मीटर)	0.029884
4	199/*	निजी	एग्रीकल्चर	633.25 (वर्ग मीटर)	0.063325
5	86/*	निजी	एग्रीकल्चर	108 (वर्ग मीटर)	0.0108
6	88/*	निजी	एग्रीकल्चर	174.88 (वर्ग मीटर)	0.017488
7	98/2, *	निजी	एग्रीकल्चर	4203.17 (वर्ग मीटर)	0.420317
8	98/3, *	निजी	एग्रीकल्चर	1317.3 (वर्ग मीटर)	0.13173
गांव का नाम: कुनबेची					
9	43/*	निजी	एग्रीकल्चर	660.41 (वर्ग मीटर)	0.066041
गांव का नाम: सुलिभवी					
10	128/1, *	निजी	एग्रीकल्चर	6482.35 (वर्ग मीटर)	0.648235
11	176/*	निजी	एग्रीकल्चर	200.57 (वर्ग मीटर)	0.020057
12	55/*	निजी	एग्रीकल्चर	2350 (वर्ग मीटर)	0.235

13	82/*	निजी	एग्रीकल्चर	214.74 (वर्ग मीटर)	0.021474
गांव का नाम: होन्नाराहल्ली					
14	32/*	निजी	एग्रीकल्चर	1575.24 (वर्ग मीटर)	0.157524
15	39/1B, *	निजी	एग्रीकल्चर	4568.8 (वर्ग मीटर)	0.45688
गांव का नाम: यदहल्ली					
16	25/13, *	निजी	एग्रीकल्चर	5539.33 (वर्ग मीटर)	0.553933
गांव का नाम: चितवडगी					
17	60/*	निजी	एग्रीकल्चर	731.62 (वर्ग मीटर)	0.073162
18	61/*	निजी	एग्रीकल्चर	449.37 (वर्ग मीटर)	0.044937
19	68/*	निजी	एग्रीकल्चर	899.85 (वर्ग मीटर)	0.089985
20	73/*	निजी	एग्रीकल्चर	112.63 (वर्ग मीटर)	0.011263
21	92/*	निजी	एग्रीकल्चर	88.33 (वर्ग मीटर)	0.008833
तालुक का नाम: गुलेडागड्डा					
गांव का नाम: कोटिकाला					
22	12/*	निजी	एग्रीकल्चर	197.93 (वर्ग मीटर)	0.019793
23	13/*	निजी	एग्रीकल्चर	107.22 (वर्ग मीटर)	0.010722
तालुक का नाम: इलकल					
गांव का नाम: केसरभावी					
24	51/*	निजी	एग्रीकल्चर	550 (वर्ग मीटर)	0.055
25	57/*	निजी	एग्रीकल्चर	2527.96 (वर्ग मीटर)	0.252796
26	78/2, *	निजी	एग्रीकल्चर	6571.11 (वर्ग मीटर)	0.657111
गांव का नाम: तुम्बा					
27	18/4, *	निजी	एग्रीकल्चर	241.33 (वर्ग मीटर)	0.024133
28	18/5, *	निजी	एग्रीकल्चर	5260.81 (वर्ग मीटर)	0.526081
29	18/7, *	निजी	एग्रीकल्चर	361.33 (वर्ग मीटर)	0.036133
30	20/2, *	निजी	एग्रीकल्चर	1125.83 (वर्ग मीटर)	0.112583
31	24/3, *	निजी	एग्रीकल्चर	166.32 (वर्ग मीटर)	0.016632
32	6/*	निजी	एग्रीकल्चर	1683.12 (वर्ग मीटर)	0.168312
गांव का नाम: चिक्काशिंगणगुत्ती					
33	136/1, *	निजी	एग्रीकल्चर	1198.52 (वर्ग मीटर)	0.119852
34	155/1, *	निजी	एग्रीकल्चर	2539.96 (वर्ग मीटर)	0.253996
35	158/*	निजी	एग्रीकल्चर	829.99 (वर्ग मीटर)	0.082999

36	159/4,*	निजी	एग्रीकल्चर	3256.84 (वर्ग मीटर)	0.325684
37	161/*	निजी	एग्रीकल्चर	213.72 (वर्ग मीटर)	0.021372
Total					5.796512

[फा. सं. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4747(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 748A in the stretch of land from Km.136.100 to Km. 182.300 (NHAI BAGALKOT) in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner (ADC in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 748A in the stretch of land from Km.136.100 to Km. 182.300 (NHAI BAGALKOT) in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: BAGALKOT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Badami					
Village: Kataginahalli					
1	67/4, *	Private	Agriculture	269.76 (Square Meter)	0.026976
Taluk: Hungund					
Village: Kalligudda					
2	78/*	Private	Agriculture	254.69 (Square Meter)	0.025469
Village: ihole					
3	154/*	Private	Agriculture	298.84 (Square Meter)	0.029884
4	199/*	Private	Agriculture	633.25 (Square Meter)	0.063325
5	86/*	Private	Agriculture	108 (Square Meter)	0.0108
6	88/*	Private	Agriculture	174.88 (Square Meter)	0.017488

7	98/2, *	Private	Agriculture	4203.17 (Square Meter)	0.420317
8	98/3, *	Private	Agriculture	1317.3 (Square Meter)	0.13173
Village: Kunabenchhi					
9	43/*	Private	Agriculture	660.41 (Square Meter)	0.066041
Village: Sulibhavi					
10	128/1, *	Private	Agriculture	6482.35 (Square Meter)	0.648235
11	176/*	Private	Agriculture	200.57 (Square Meter)	0.020057
12	55/*	Private	Agriculture	2350 (Square Meter)	0.235
13	82/*	Private	Agriculture	214.74 (Square Meter)	0.021474
Village: Honnarahalli					
14	32/*	Private	Agriculture	1575.24 (Square Meter)	0.157524
15	39/1B, *	Private	Agriculture	4568.8 (Square Meter)	0.45688
Village: Yadahalli					
16	25/13, *	Private	Agriculture	5539.33 (Square Meter)	0.553933
Village: Chittawadgi					
17	60/*	Private	Agriculture	731.62 (Square Meter)	0.073162
18	61/*	Private	Agriculture	449.37 (Square Meter)	0.044937
19	68/*	Private	Agriculture	899.85 (Square Meter)	0.089985
20	73/*	Private	Agriculture	112.63 (Square Meter)	0.011263
21	92/*	Private	Agriculture	88.33 (Square Meter)	0.008833
Taluk: Guledhagudda					
Village: Kotikalla					
22	12/*	Private	Agriculture	197.93 (Square Meter)	0.019793
23	13/*	Private	Agriculture	107.22 (Square Meter)	0.010722
Taluk: Ilkal					
Village: Kesarabhavi					
24	51/*	Private	Agriculture	550 (Square Meter)	0.055
25	57/*	Private	Agriculture	2527.96 (Square Meter)	0.252796
26	78/2, *	Private	Agriculture	6571.11 (Square Meter)	0.657111
Village: Tumba					
27	18/4, *	Private	Agriculture	241.33 (Square Meter)	0.024133
28	18/5, *	Private	Agriculture	5260.81 (Square Meter)	0.526081
29	18/7, *	Private	Agriculture	361.33 (Square Meter)	0.036133
30	20/2, *	Private	Agriculture	1125.83 (Square Meter)	0.112583
31	24/3, *	Private	Agriculture	166.32 (Square Meter)	0.016632
32	6/*	Private	Agriculture	1683.12 (Square Meter)	0.168312
Village: Chikkashinganagutti					
33	136/1, *	Private	Agriculture	1198.52 (Square Meter)	0.119852
34	155/1, *	Private	Agriculture	2539.96 (Square Meter)	0.253996
35	158/*	Private	Agriculture	829.99 (Square Meter)	0.082999
36	159/4, *	Private	Agriculture	3256.84 (Square Meter)	0.325684
37	161/*	Private	Agriculture	213.72 (Square Meter)	0.021372
Total					5.796512

[F. No. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director